भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 712
गुरुवार, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम</u>

712. श्री पी.पी. चौधरीः
श्री संगम लाल गुप्ताः
श्री सी.आर. पाटिलः
डॉ. रमापति राम त्रिपाठीः
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम की तीन उप-श्रेणियों में से प्रत्येक के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और ओडिशा की किसी संस्था को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का अपनी किसी एजेंसी के माध्यम से लाभार्थी संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करने का विचार है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संयंत्रों से प्राप्त परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए कोई तंत्र तैयार किया है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर. के. सिंह)

(क) अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्त वर्ष 2018-19, वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 (दिनांक 30.11.2023 की स्थिति के अनुसार) के दौरान अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के तहत वितरित केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के ब्यौरे अनुलग्नक-**I** में दिए गए हैं।

(ख) और (ग): उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा राज्यों में अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के तहत परियोजना डेवलपरों को जारी केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के ब्यौरे अनुलग्नक-**II** में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ): तकनीकी सहायता देने, आर एंड डी, नए बायोगैस मॉडलों/डिजाइनों का परीक्षण और सत्यापन, बायोगैस संयंत्रों का क्षेत्र निरीक्षण, और प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए भारत के प्रमुख संस्थानों में 8 बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र (बीडीटीसी) स्थापित किए गए हैं। बीडीटीसी के ब्यौरे अनुलग्नक-**III** में दिए गए हैं।

(च) और (छ): दिनांक 02.11.2022 के अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम दिशानिर्देशों के तहत, केन्द्रीय वित्तीय सहायता जारी करने के पहले कम-से-कम 72 घंटे तक संयंत्र के लगातार प्रचालनरत रहने सहित नामित निरीक्षण एजेंसियों द्वारा न्यूनतम 3 माह तक लगातार प्रदर्शन निगरानी हेतु संयंत्रों का निरीक्षण करना होता है, जिसके दौरान संयंत्र को अपनी निर्धारित क्षमता की औसतन 80 प्रतिशत प्रचालन क्षमता कायम रखनी होती है।

इसके अतिरिक्त, डेवलपरों को स्काडा प्रणाली अथवा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की दूरस्थ निगरानी प्रणाली के जरिए अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के उत्पादन के आंकड़े साझा करने होते हैं।

<u>अनुलग्नक-I</u>

"अपशिष्ट से ऊर्जा" के संबंध में पूछे गए दिनांक 07.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-712 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2018-19, वित्त वर्ष 2019-20 वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना डेवलपरों को वितरित केंद्रीय वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरें (दिनांक 30.11.2023 की स्थिति के अनुसार), निम्नलिखित हैं

राज्य	परियोजना डेवलपरों को वितरित सीएफए (परियोजनाओं की संख्या)			
	जैवऊर्जा	जैव-सीएनजी	ऊर्जा	कुल
आंध्र प्रदेश	1	4	2	7
गुजरात	1	6	-	7
हरियाणा	-	2	-	2
कर्नाटक	-	1	-	1
मध्य प्रदेश	1	-	-	1
महाराष्ट्र	3	-	2	5
तमिलनाडु	-	1	-	1
तेलंगाना	1	1	1	3
उत्तर प्रदेश	-	1	2	3
पश्चिम बंगाल	-	-	2	2
कुल योग	7	16	9	32

अनुलग्नक-II

"अपशिष्ट से ऊर्जा" के संबंध में पूछे गए दिनांक 07.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-712 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा में अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु वित्त वर्ष 2018-19, वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मंत्रालय द्वारा जारी की गई सीएफए का ब्यौरा

राज्य	परियोजना के विकासकर्ता	परियोजना डेवलपर को जारी सीएफए (करोड़ रु. में)
गुजरात	मैसर्स एपेक्स ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन	4.67
	मैसर्स तुर्किस बायो नेचुरल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	4.67
	मैसर्स सयाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1.00
	एपीएमसी, अहमदाबाद	1.00
	मैसर्स श्री हरि बायोसीएनजी एंड फर्टिलाइजर एलएलपी	4.69
	मैसर्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, सूरत	0.83
	मैसर्स गोवर्धननाथजी एनर्जीज एलएलपी	3.00
उत्तर प्रदेश	मैसर्स पुरषोत्तम राम फूड्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	1.80
	मैसर्स समग्र एग्रो	0.82
	मैसर्स अमित ट्रेडर्स	0.04
राजस्थान	-	-
ओडिशा	-	-
कुल		22.52

अनुलग्नक-III

"अपशिष्ट से ऊर्जा" के संबंध में पूछे गए दिनांक 07.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-712 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

बायोगैस निर्माण और प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	बीडीटीसी का नाम	बीडीटीसी का स्थान
1	यांत्रिक अभियंत्रिकी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	नार्थ गुवाहाटी, गुवाहाटी असम-781039
2	कृषि अभियंत्रिकी विभाग, युनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल सांइसेज, बैंगलोर	जीकेवीके, बैंगलोर, कर्नाटक-560065
3	स्कूल ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट स्टडीज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	खंडवा रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश-452017
4	सिविल इंजीनियरिंग विभाग, पंजाब एग्रीकल्चरल विश्वविद्यालय	लुधियाना, पंजाब-141004
5	अक्षय ऊर्जा अभियांत्रिकी विभाग, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चरण इंजीनियरिंग, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी	उदयपुर, राजस्थान-313001
6	स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी)	भुवनेश्वर, ओडिशा-751024
7	एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी	कोयम्बटूर, तमिलनाडु-641003
8	ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीआरडीटी), आईआईटी दिल्ली	आईआईटी हौज खास, नई दिल्ली-110016

*****